

विधि विभाग

परिपत्र

हमारा संदर्भ : विधि/9/274/2018

28 मई 2018


विषय : बीआईएस अधिनियम, 2016 के अनुसार प्रवर्तन कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोफार्मा/प्रपत्रों में संशोधन ।

सभी संबंधितों के सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाता है कि क्रमशः दिनांक 12 अक्टूबर 2017 और 13 अक्टूबर 2017 को नए बीआईएस अधिनियम 2016 और बीआईएस नियम 2017 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, बीआईएस के प्रवर्तन कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित प्रोफार्मा/प्रपत्रों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किए गए हैं:

- (i) बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 15 के तहत तलाशी और जब्ती कार्यों को करने के लिए बीआईएस प्रमाणन अधिकारियों को प्राधिकृत करना;
- (ii) बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रवाधान के तहत जांच, तलाशी और जब्ती कार्यों को करने के लिए बीआईएस प्रमाणन अधिकारियों को प्राधिकृत करना।
- (iii) बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधान के तहत तलाशी और जब्ती करने के लिए बीआईएस जांच दल के बचाव / सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस कर्मियों को ब्यौरा देने के लिए पुलिस प्राधिकारियों को पत्र:
- (iv) जब्ती मीमो
- (v) तलाशी और जब्ती कार्य (सुपुर्दगी मीमो); और
- (vi) उपस्थिति शीट

2. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि प्रवर्तन कार्य में बीआईएस की आवश्यकता/स्थिति के अनुसार उपर्युक्त प्रोफार्मा/प्रपत्र का प्रयोग करें।

संलग्नक : यथोपरि


(तिलक राज)
निदेशक(विधि)

बीआईएस मुख्यालय, नई दिल्ली के सभी विभागों / अनुभागों / सीएल-साहिबाबाद / एनआईटीएस / क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा कार्यालयों/निरीक्षण कार्यालय के सभी विभागों के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित।

हॉलमार्क

हमारा संदर्भ :.....

दिनांक.....

विषय : जांच, तलाशी और जब्ती कार्यों को करने के लिए बीआईएस प्रमाणन अधिकारियों को प्राधिकृत करना।

मैसर्स.....

.....

.....

महोदय,

बीआईएस के पास प्रामाणिक जानकारी और कारण है कि बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 15 के उल्लंघन में आपके परिसर में सोने के आभूषणों पर बीआईएस मानक मुहर का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के तहत दंडनीय है।

2. इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि बीआईएस प्रमाणन अधिकारियों को आपके परिसर में तलाशी और जब्ती कार्यवाही करने के लिए बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 28 के तहत अधिकार दिया गया है और किसी भी ऐसी वस्तु या माल या सामग्री या दस्तावेज को जब्त कर सकता है, जो बीआईएस अधिनियम, 2016 और प्रमाणन अधिकारी की राय में कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे संबंधित हो।

3. मैं तलाशी एवं जब्ती से संबंधित आपराधिक विधि संहिता, 1973 (1974 का 2) के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार बीआईएस के निम्नलिखित अधिकारियों की टीम को को आपके परिसर में तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

4. आपको सलाह दी जाती है कि जांच टीम को पूर्ण सहयोग दें और उनके कार्य को पूरा करने में उनकी सहायता करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

प्रमुख(.....)

हमारा संदर्भ :.....

दिनांक.....

विषय : तलाशी और जब्ती कार्यों को करने के लिए बीआईएस प्रमाणन अधिकारियों को प्राधिकृत करना ।

मैसर्स.....

.....

.....

महोदय,

बीआईएस के पास प्रामाणिक जानकारी और कारण है कि आपके परिसर.....में भारतीय मानक ब्यूरो मुहर(आईएसआई) का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 11, 14(6) या 14(8), 15, 17 का उल्लंघन है।

2. मैं बीआईएस के निम्नलिखित अधिकारियों की टीम को आपके परिसर..... में तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

i)

ii).....

iii)

3. आपको सलाह दी जाती है कि जांच टीम को पूर्ण सहयोग दें और उनके कार्य को पूरा करने में उनकी सहायता करें।

धन्यवाद,

भवदीय,

प्रमुख(.....)

हमारा संदर्भ : _____

दिनांक : _____

विषय : बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत तलाशी एवं जब्ती अभियान चलाने के लिए बीआईएस की जाँच टीम की रक्षा/सुरक्षा के लिए हथियारबंद पुलिस कार्मिक नियुक्त करने हेतु अनुरोध के संबंध में ।

सहायक आयुक्त पुलिस

महोदय,

आपको विदित होगा कि बीआईएस से वैध लाइसेंस लिए बिना मानक मुहर का प्रयोग बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत एक अपराध है, जिसके लिए इस अधिनियम के तहत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है ।

2. हमारे पास स्रोतगत सूचना होती है कि आपके क्षेत्राधिकार के तहत क्षेत्र में स्थित फैक्टरी/दुकान में मानक मुहर का दुरुपयोग किया जा रहा है । मानक मुहर का ऐसा दुरुपयोग बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 11, 14(6) या 14(8), 15, 17 का उल्लंघन है, जो कि बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 26 के तहत सजायोग्य है तथा बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत बीआईएस के अधिकारी तलाशी एवं जब्ती/जाँच करने की सख्ती रखते हैं । तदनुसार, दिनांक _____ को विस्तृत जाँच एवं तलाशी एवं जब्ती ऑपरेशन की योजना बनाई गई है तथा जिसके लिए निम्नलिखित अधिकारियों की टीम छापे मारने/जाँच/तलाशी एवं जब्ती करने के लिए बनाई गई है :

- i) _____
- ii) _____
- iii) _____

3. जाँच अधिकारियों की टीम की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस का आपसे अनुरोध है कि कृपया* _____ हथियारबंद पुलिस कार्मिक एवं * _____ महिला पुलिस कार्मिकों सहित टीम की सहायता करने हेतु तैनात करें । चूंकि, मामला बहुत ही गोपनीय है और इस सूचना को किसी प्रकार की लीकेज होने से बचाने के लिए दुरुपयोग के तहत उत्पाद को गोपनीय रखा जा रहा है और प्रकट नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संदर्भ में यह दर्शाना उपयुक्त होगा कि बीआईएस नियमित आधार पर गत वर्षों में पुलिस से ऐसा सहयोग एवं सहायता प्राप्त हो रही है, जो जनहित में बहुत ही प्रशंसनीय एवं सराहनीय है ।

धन्यवाद,

भवदीय,

प्रमुख()

* अपेक्षित पुलिस कार्मिकों की संख्या

सेवा में : स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ)

.....
.....

हमारा संदर्भ :

दिनांक :

विषय : जब्ती ज्ञापन

दिनांक ----- को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के अनुसरण में मैं ----- के परिसर की तलाशी की गई और किसी वैध लाइसेंस/प्राधिकरण के बिना बीआईएस मानक मुहर का दुरुपयोग करते हुए पाया गया तथा निम्नलिखित सामग्रियाँ जब्त की गईं :

क्रमांक	मानक मुहर में विशेष संदर्भ सहित मुहरांकन के विवरण के साथ जब्त की गई सामग्री/दस्तावेजों के ब्यौरे	मात्रा	पहचान चिन्ह
1	2	3	4

उक्त सामग्री निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में जब्त एवं मुहरांकित की गई है।

साक्षी

प्रमाणन अधिकारी/अधिकारियों के नाम एवं हस्ताक्षर

- 1.
- 2.

(तलाशी के उपरांत इस पत्र को प्राप्त करने के लिए ली गई तलाशी वाले परिसरों के प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम एवं पता)

हमारा संदर्भ :

दिनांक :

विषय : दिनांक ----- को तलाशी एवं जब्ती ऑपरेशन

.....
.....
.....

महोदय,

बीआईएस अधिनियम, 2016 के उपबंधों के तहत तलाशी एवं जब्ती करते समय जब्ती जापन संख्या ----- दिनांकित ----- पर ----- बजे देखें। पूर्वोक्त परिसरों से आज नीचे दिए गए अनुसार वस्तु/वस्तुएँ जब्त की गई हैं।

2. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के अनुसरण में वस्तु/वस्तुएँ जब्त की गई हैं। यह अधिनियम बीआईएस के अधिकारियों को ऐसी वस्तुएँ या सामान तथा अन्य सामग्री एवं दस्तावेज को जब्त करने की शक्ति प्रदान करता है, जो उनकी राय में इस अधिनियम के तहत किसी प्रकार की कार्यवाहियाँ करने से संबंधित या उपयोगी हो।

क्रमांक	मानक मुहर में विशेष संदर्भ सहित मुहरांकन के विवरण के साथ जब्त की गई सामग्री/दस्तावेजों के ब्यौरे	मात्रा (लगभग)	पहचान चिन्ह
1	2	3	4

3. आपके अपने हित में आपको एतद्वारा सलाह दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी (प्रमाणन अधिकारी) की पूर्वानुमति को छोड़कर उक्त विवरणित जब्त की गई वस्तु को या उसके भाग को न हटाएँ और न ही कोई अन्यथा निपटान करें। कृपया यह ध्यान दें कि आपकी ओर से ऐसी कोई कार्यवाही न हो, जिससे बीआईएस अधिनियम, 2016 और विश्वास भंग/आपराधिक धमकी हेतु आईपीसी, 1860 की धारा 506 का आगे उल्लंघन न हो।

प्रमाणन अधिकारी का नाम :

पदनाम :

(तलाशी के बाद इस पत्र को प्राप्त करने वाले परिसरों के व्यक्ति, स्वामी/सहभागी/मालिक /कर्मचारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर, नाम एवं पता)

भारतीय मानक ब्यूरो
(-----)

हमारा संदर्भ :

तलाशी एवं जब्ती की तिथि :

निम्नलिखित की उपस्थिति में ----- परिसर में तलाशी
एवं जब्ती की गई ।

उपस्थिति शीट

बीआईएस कार्मिक

क्रमांक	नाम	विभाग	पदनाम	हस्ताक्षर

पुलिस कार्मिक

क्रमांक	नाम	पुलिस स्टेशन	पदनाम	हस्ताक्षर

स्वतन्त्र साक्षी

क्रमांक	फर्म का नाम सहित नाम	पता	पदनाम	हस्ताक्षर

LEGAL DEPARTMENT

CIRCULAR

Our Ref: Law/9/274/2018

Date: 28 May 2018


Subject: *Revised of Proformae/forms for use in Enforcement Operations as per BIS Act, 2016:*

It is circulated for information and necessary action by all concerned that consequent upon Notification of the new BIS Act 2016 and BIS Rules 2017 w.e.f. 12 Oct, 2017 and 13 Oct 2017 respectively, the following Proformae/forms have been revised with approval of the Competent Authority for use in Enforcement Operations of BIS:

- (i) Authorization of BIS Certification Officers to conduct Search & Seizure operation under Section 15 of BIS Act, 2016;
- (ii) Authorization of BIS Certification officers to conduct investigation, Search & Seizure under the provision of BIS Act, 2016;
- (iii) Letter for police authorities for detailing the Armed Police Personnel for protection/ safety of BIS Investigating Team (s) to conduct Search & Seizure under the provision of BIS Act, 2016;
- (iv) Seizure Memo;
- (v) Search & Seizure Operation (Superdari Memo); and
- (vi) Attendance Sheet.

2. Heads of all Regional Offices/Branch Offices are advised to use the above Proformae/forms according to the need/situation of BIS in the Enforcement Operations.

Encl: as above


(Tilak Raj)
Director (Legal)

Circulated for information and necessary action to all Departments/Sections at BIS HQs, New Delhi/CL-Sahibabad/NITS/Regional Offices/Branch Offices/Inspection Offices

Hallmark

Our Ref:

Date:.....

Subject: Authorization of BIS Certification Officers to conduct investigation, search & Seizure

M/s

.....

.....

Dear Sir(s),

BIS has authentic information and reason to believe that misuse of BIS Standard Mark (Hallmark) has been taking place on Gold Jewellery in your premises in violation of **Section 15 of BIS Act, 2016**, which is punishable under Section 29 of BIS Act, 2016.

2. In this context, it is worth mentioning that the BIS Certification Officers have been empowered under Section 28 of BIS Act, 2016 to carry out search & seizure operation at your premises and seize any such goods or article or material or document which the Certification Officer may consider in his opinion to be useful or relevant to the proceeding and BIS Act, 2016.

3. I hereby authorize the team of following BIS officers to conduct search & seizure at your premises on _____ as per the relevant provisions of Cr. Procedure Code, 1973 (2 of 1974) relating to search & seizure.

4. You are advised to extend full co-operation to the investigating team and assist them to carry out its duties.

Thanking you,

Yours faithfully,

Head (.....)

Our Ref:

Date:

Subject: Authorization of BIS Certification Officers to conduct search & seizure operation

M/s

.....

.....

Dear Sir(s),

BIS has reason to believe that misuse of BIS Standards Mark (ISI Mark) has been taking place on _____ in your premises in violation of Section 11, 14(6) or 14(8), 15, 17 of BIS Act, 2016.

2. I hereby authorize the investigating team consisting of following officers to undertake investigation, search & seizure in your premises on

i)

ii)

iii)

3. You are requested to extend full co-operation to the investigating team and help them in performance of their duties.

Thanking you,

Yours faithfully,

Head ()

Our Ref: _____

Date _____

Subject: Request for detailing the Armed Police Personnel for protection of safety of BIS Investigating Team(s) to conduct Search & Seizure under the provisions of BIS Act, 2016- regarding

The Assistant Commissioner of Police

Dear Sir,

You may be aware that under the provisions of BIS Act, 2016, use of Standard Mark without a valid Licence from BIS is an offence for which stringent punishment have been provided under this Act.

2. We have source information that misuse of Standard Mark is taking place in a factory/Shop situated in the area under your jurisdiction. Such misuse of Standard Mark is a violation of Sections 11, 14(6) or 14(8), 15, 17 of BIS Act, 2016, which is punishable under Section 29 of BIS Act, 2016 and BIS officers have been empowered to carry out Search & Seizure/Investigation under Section 28 of BIS Act, 2016. Accordingly, detailed investigation and search and seizure operation has been planned onand for which the following team of officers has been constituted to carry out raid/investigation/search & seizure:

- i) _____
- ii) _____
- iii) _____

3. In order to ensure personal protection and safety of the team of investigating officers, BIS request you to kindly deploy *____armed police personnel including *____ lady police personnel to assist the team. As the matter is of high confidentiality and in order to avoid any likely leakage of this information, the product under misuse and the name and address of the factory is being kept confidential and is not being disclosed which you very well appreciate.

4. In this context, it is worth mentioning that BIS has been receiving such cooperation and assistance from the Police in the past on a regular basis, which is highly commendable and appreciated in the larger public interest.

Thanking you,

Yours faithfully,

Head ()

*number of required police personnel

Copy To: Station House Officer (SHO) -

Our Ref:

Dated

Subject: SEIZURE MEMO

In pursuance of Section 28 of Bureau of Indian Standards Act, 2016, a search at the premises of M/s.....was carried out onand was found to be misusing the BIS Standard Mark without any valid licence/authorization and was seized the following materials:

Sl. No.	Description of the Material/Documents seized with details of marking with specific reference in Standard Mark	Quantity	Identification Mark
(1)	(2)	(3)	(4)

The above material has been seized and sealed in the presence of the following persons:

WITNESSES:

1.

2.

Name & Signature of the Certification Officer(s)

(Signatures, name and address of the person In-charge of the premises searched for receiving this letter after search).

Our Ref :

Date:.....

Subject: Search & Seizure Operation on

.....
.....
.....

Sir,

The article(s) as detailed below have been seized today from the aforesaid premises vide Seizure Memo No.....dated athrs (Time) while carrying out search & seizure operation, under the provisions of BIS Act, 2016.

2. The article(s) have been seized in pursuance to Section 28 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016, which empowers the BIS Certification Officer(s) to seize such goods or article and other material and documents which, in his opinion will be useful for, or relevant to any proceedings under this Act:

Sl, No.	Description of the Material/Documents seized with details of marking with specific reference in Standard Mark	Quantity (Approx.)	Identification Mark
(1)	(2)	(3)	(4)

3. You are hereby advised in your own interest, that the seized article(s) as detailed above is not removed, part with or otherwise dealt with, except with the previous permission of the undersigned (Certification Officer). Please note that any such action on your part shall further amount to contravention of Section 28 of BIS Act, 2016 and Section 506 of IPC, 1860 for Breach of Trust/Criminal Intimidation.

Name of Certification Officer:

Designation:

.....

(Signature, name and address of the person, Prop./Partner/Owner/
Employee/Representative of the premises receiving this letter after search)

Bureau of Indian Standards
(.....)

Our Ref:

Date of Search & Seizure:

Premises at which the Search & Seizure conducted:.....in the presence of following persons:

ATTENDANCE SHEET

BIS PERSONNEL

Sr. No.	Name	Department	Designation	Signature

POLICE PERSONNEL

Sr. No.	Name	Police Station	Designation	Signature

INDEPENDENT WITNESSES

Sr. No.	Name with Firm's name	Address	Designation	Signature